(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 249/2023 **जीसीएमएस नम्बर :– 2023/871**

1. अनिल कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
2. ओमप्रकाश पुत्र जगनाराम जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
3. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र ओमप्रकाश जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
4. लालमन पुत्र श्योनारायण जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
5. सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामसिंह जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

..............प्रार्थीगण

बनाम

1. पुरूषोतम पुत्र मूलाराम जाति खाती, निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
2. अनमा ए.वी. पत्नी हरमेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी नुतन मार्केट गणेश कॉलोनी पिलानी तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राज0
3. खण्ड विकास समिति जरिए अध्यक्ष रामचन्द्र
4. धर्मपाल पुत्र बल्लाराम जाति अहीर निवासी सागा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
5. मनीराम पुत्र चिरजीलाल जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
6. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र चिरजीलाल जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
7. रामनिवास पुत्र नारायण जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
8. शर्मिला पत्नी सुनील कुमार जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
9. सत्यपाल पुत्र बलबीर जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
10. हजारीलाल पुत्र मूलाराम जाति खाती निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
11. सहीराम पुत्र सुरताराम जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
12. देशराज पुत्र बलबीर जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
14. उप–पंजीयक बुहाना

............अप्रार्थीगण

दावा बाबत– घोषणात्मक, स्थाई निषेधाज्ञा, दुरूस्ति नक्शा

दिनांक:–6/9/24

–:निर्णय:–

(1). वादी का वादपत्र रहा कि:–

1. यह कि वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि ख0 न0 2301 रकबा 2.15 हैक्टर के खातेदार अनारी पत्नी मूलाराम, अरजनलाल, हजारीलाल, पुरूषोतम पुत्रान मूलाराम, जाति जागिड़ निवासी बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 को वादी संख्या 4 ने इसमें से 0.3250 हैक्टर रकबा खरीद कर लिया, जिसकी खातेदारी वादी संख्या 4 के नाम इंतकाल नम्बर 366 के जरिए दर्ज हुई। उसके वाद वादी ने अपनी भूमि का ई.नं. 1399 के जरिए दर्ज विभाजन करवा लिया, तो वादी संख्या 4 के नाम भूमि ख0 न0 2301/1 रकबा 0.3250 हैक्टर रकबा आया तथा ख0 न0 2301/2 रकबा 0.0368 हैक्टर रकबा अमर सिंह पुत्र मातादीन गुवारीया के हिस्से में आया एवं ख0 न0 2301/3 रकबा 1.7880 है0, रकबा मूल खातेदारों के हिस्सा में रहा। इस प्रकार वादी संख्या 4 का ख0 न0 2301/1 रकबा 0.3250 हैक्टर पर कब्जा है। ख0 न0 2301/1 का विभाजन का नक्शा की नकल संलग्न जवाब दावा है, जिस पर उस समय खातेदार अर्जुनलाल, हजारीलाल, अनारी देवी, लालमण, पुरूषोतम एवं अमर सिंह ने अपने अपने हस्ताक्षर किए जो सभी पर बाध्यकारी है। इस प्रकार वादी संख्या 4 का कब्जा ख0 न0 2301 रकबा 03250 है0, पर कायम है। विभाजन आवेदन एवं विभाजन प्रस्ताव की नकल सलंग्न है, जिसके अनुसार वादी संख्या 4 का ख0 न0 2301 के उतरी एवं पूर्वी भाग पर कब्जा है, जिसका नजरी नक्शा भी पेश है जो दावा का भाग रहेगा।
2. यह कि वादी संख्या 4 ने अपनी इस भूमि में से बेचान करने पर वादी संख्या 1 का 41903/650000 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 26383/325000 हिस्सा वादी संख्या 3 का 41903/650000 हिस्सा वादी संख्या 4 का 90673/162500 हिस्सा एवं वादी संख्या 5 का 501/3250 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 12 देशराज का 6317/81250 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 12 की भूमि से कोई संबधं सरोकार नही है।
3. यह कि वादीगण की भूमि ख0 न0 2301/1 रकबा 0.3250 है0, के राजस्व कर्मचारियों ने एवं सेग्रीगेशन में ख0 न0 3511/2301 रकबा 0.3250 हैक्टर कायम किए गए तथा ख0 न0 2301/2 के 3512/2301 एवं ख0 न0 2301/3 के ख0 न0 3513/2301 कायम किए गए।
4. यह कि वादीगण की भूमि ख0 न0 3511/2301 जो अविभाजित ख0 न0 2301 के उत्तर व पूर्व में स्थित है, उसका राजस्व कर्मचारियों ने गलत रूप से नक्शा कायम कर वादीगण की भूमि ख0 न0 3511/2301 को अविभाजित ख0 न0 2301 के उतरी भाग में कतई पूर्व में दिखा दिया, जबकि वादीगण की भूमि उतर से सड़क से शुरू होकर पश्चिम में "एल" आकृति में है एवं विभाजन में वही भाग वादीगण को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों ने वादीगण की भूमि का नक्शा गलत

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.) [seal]

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

घोषणात्मक, स्थाई निषेधाज्ञा ....

सुनवानी

बना दिया, जबकि जहां नये नक्शें में ख0 न0 3511/2301 को दर्शाया है, वह भाग ख0 न0 3513/2301 का भाग है तथा ख0 न0 3513/2301 को भाग दर्शाया है, वहां ख0 न0 3511/2301 स्थित है। इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों ने नक्शा गलत बनाया है जो दुरूस्ति योग्य है एवं उस स्थान का खातेदार वादीगण को घोषत किए जाने योग्य है।

5. यह कि गलत नक्शा की आड़ में प्रतिवादी संख्या 1 ने अब वादीगण की भूमि को अपना बताना शुरू कर दिया एंव उसमें पिलर लगाकर तार–बाड़ करने व निर्माण करने की धमकी देना शुरू कर दिया है एवं 3–4 रोज पूर्व वादीगण की भूमि पर आए एवं जबरन कब्जा करने की धमकी देने लगे हैं। यदि गलत नक्शा की आड़ में प्रतिवादी संख्या 1 या अन्य किसी प्रतिवादीगण ने वादीगण की भूमि पर कब्जा कर लिया तो वादीगण को ऐसी अपूर्तनीययय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मुल्याकनं नही किया जा सकेगा। इसलिए वादीगण के लिए अपने अधिकारों की सुरक्षा एवं घोषणा हेतु यह दावा करना आवश्यक हुआ है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया किः–

(अ). कि वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि ख0 न0 3511/2301 का नक्शा दुरूस्त कर नजरी नक्शा एवं विभाजन के नक्शा क्रमांक 3404 दिनांक 29.04.2003 के अनुसार कायम कर उस भाग का वादीगण को मुताबिक जमाबन्दी के हिस्सा अनुसार खातेदार घोषित किए जाने की कृपा करे एवं ख0 न0 3513/2301 का नक्शा उसी अनुरूप दुरूस्त किए जाने की कृपा करें।

(ब). कि प्रतिवादी संख्या 1 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पांबद किया जाए कि वह वादीगण की भूमि ख0 न0 3511/2301 रकबा 0.3250 है0, व ख0 न0 3513/2301 रकबा 1.7880 है0, में नक्शा दिनांक 29.04.2003 के अनुसार कब्जा–काश्त, उपयोग–उपभोग में बाधा कारित नहीं करें। किसी प्रकार का उपयोग–उपभोग में बाधा कारित नहीं करें। किसी भी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण नही करें, तार–बाड़ नही लगाएं , पिलर आदि नहीं बनाएं। ऐसा कृत्य ना स्वयं करें ना किसी अन्य से कराएं।

उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राज.)

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 05.08.2024 को अमल में लाई गई। वकील वादी ने साक्ष्यवादी में शपथ पत्र व लिखावट पेश कि एवं वादी ने अन्य किसी साक्ष्य से मना किया साक्ष्यवादी बंद की गई। वकील वादी ने बहस पेश की सहमति से खाता विभाजन हुआ विभाजन की कॉपी एवं नक्शा संलग्न है अध्ययन किया गया। (प्रर्दश–10) ख0 न0 2301/1 से 3511/2301 बना है। किसी ने कोई ऐतराज पेश नहीं किया। वकील वादी ने निवेदन किया कि सहमति से खाता विभाजन के समय जो मौका नक्शा बनाया था उसी अनुरूप निर्णय चाहते है। सेग्रीगेशन के वक्त नक्शा बदल गया अतः अन्तिम निर्णय हेतु निवेदन किया।

वकील वादी की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। आपसी सहमति से खाता विभाजन हुआ प्रर्दश–10 में ख0 न0 2301/1 की तरमीम स्पष्ट है। अतः आधार बहस, साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

ग्राम बुहाना स्थित ख0 न0 3511/2301 का नक्शा, विभाजन के नक्शा क्रमांक 3404 दिनांक 29.04.2003 के प्रर्दश–10 के अनुसार संशोधन के आदेश किये जाते है। रकबे में कोई परिवर्तन जमाबन्दी में नहीं किया जावे।

–::आदेश::–

''न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि ख0 न0 3511/2301 का नक्शा विभाजन के नक्शा क्रमांक 3404 दिनांक 29.04.2003 के प्रर्दश–10 के अनुसार संशोधन कर नक्शा दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर तदानुसार नक्शा दुरस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रकबे में कोई परिवर्तन जमाबन्दी में नहीं किया जावे। नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन सम्बधित खातेदार को प्राप्त होने वाले ख.न./रकबे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उक्तानुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार हो।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 6/9/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 249 / 2023 **जीसीएमएस नम्बर :– 2023 / 871**

निर्णय दिनांक :–

अनिल कुमार आदि **बनाम** पुरूषोतम वगै0

प्रार्थना पत्र बाबत– घोषणात्मक, स्थाई निषेधाज्ञा व नक्शा दुरूस्ति

–:निर्णयः–

वादी की ओर से **श्री राजेश यादव एडवोकेट** की व शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को आज **हेमन्त कुमार उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

"न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि ख0 न0 3511 / 2301 का नक्शा विभाजन के नक्शा क्रमांक 3404 दिनांक 29.04.2003 के प्रर्दश–10 के अनुसार संशोधन कर नक्शा दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर तदानुसार नक्शा दुरस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रकबे में कोई परिवर्तन जमाबन्दी में नहीं किया जावे। नक्शा प्रदर्श "ब" के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन सम्बधित खातेदार को प्राप्त होने वाले ख.न. / रकबे / हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उक्तानुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार हो।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 6/9/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना